न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी
पीठासीन अधिकारी :— स्वाति गुप्ता आरएएस
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :— /2024

सदाजीत सिह पुत्र प्यारासिह जाति बावरी निवासी खाराखेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम्

1. गुरदीपसिह पुत्र आत्माराम जाति बावरी निवासी खाराखेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमागनढ।
2. जगमेलसिह उर्फ जगमाल सिह पुत्र आत्माराम जाति बावरी निवासी खाराखेडा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
3. शान्ति देवी पत्नी आत्माराम जाति बावरी निवासी खाराखेडा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
4. तहसीलदार राजस्व टिब्बी। — — अप्रार्थीगण

उपस्थित—श्री महावीर प्रसाद वर्मा अधिवक्ता प्रार्थी
श्री करनैलसिह अधिवक्ता अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक :—

प्रार्थी सदाजीत सिह ने अप्रार्थीगण के विरूद्व यह प्रार्थना पत्र 251ए आरटीए के तहत इस न्यायांलय में पेश किया कि प्रार्थी के नाम से चक नम्बर 9 केएचआर के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता संख्या 149/72 में कुल 0.759 हैक्टर आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के नाम से चक नंम्बर 9 के.एच.आर के खाता संख्या 141/128 में कुल 1.012 हैक्टर आराजी नहरी मय गैर मुमकिन खाला, रास्ता बहिस्सा बरावर दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि चक नंम्बर 9 केएचआर के पत्थर नम्बर 222/217 (8) किला नंम्बर 3 में आवागमन के लिए कोई मन्जुरशुदा रास्ता नही है। अप्रार्थीगण की भूमि चक नंम्बर 9 केएचआर के पत्थर नम्बर 222/217 (8) किला नम्बर 5/3 में पश्चिमी दिशा में स्वीकृत रास्ता है जिससे होकर प्रार्थी अप्रार्थीगण के पत्थर नम्बर 222/217 (8) किला नम्बर 4 व 5 की दक्षिण दिशा में पश्चिम से पूर्व चलकर अपनी भूमि किला नम्बर 3 में प्रवेश करता चला आ रहा है उक्त रास्ता मौका पर चालु है लेकिन उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत नही है उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत नही होने के कारण अप्रार्थीगण उक्त रास्ता का कभी भी बंद कर सकते है इसलिए प्रार्थी, अप्रार्थीगण की आराजी चक नंम्बर 9 केएचआर के पत्थर नम्बर 222/217 (8) किला नम्बर 4 व 5 की दक्षिण दिशा में पश्चिम से पूर्व प्रत्येक किला में .020 हैक्टर चौड़ा रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता हैं। प्रार्थी रास्ता में आई भूमि के बदले में अप्रार्थीगण को डीएलसी रेट की दोगुनी राशि देने के लिए तैयार है।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.08.05 11:50:16 IST
Reason: SelfAttested

उक्त तथ्यों के आधार पर ... पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद प्रार्थना पत्र दर्ज ... के जरिये नोटिस तलब किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र में तहसीलदार ... रिपोर्ट चाही गई। अप्रार्थीगण द्वारा हाजिर अदालत होकर अपना जबाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया ... को अपनी कृषि भूमि चक नंम्बर 9 केएचआर के पत्थर नम्बर 222/217 (8) किला नम्बर 3 में आवागमन के लिए कोई मन्जुरशुदा रास्ता नही हैं। हम अप्रार्थीगण की भूमि चक नंम्बर 9 केएचआर के पत्थर नम्बर 222/217 (8) किला नम्बर 5/3 में पश्चिमी दिशा में स्वीकृत रास्ता है जिससे होकर प्रार्थी, हम अप्रार्थीगण के पत्थर नम्बर 222/217 (8)

Scanned with CamScanner

किला नम्बर 4 व 5 की दक्षिण दिशा में पश्चिम से पूर्व चलकर अपनी भूमि किला नम्बर 3 मे प्रवेश करता चला आ रहा है उक्त रास्ता मौका पर चालु है इसलिए हम अप्रार्थीगण की आराजी चक नंम्बर 9 केएचआर के पत्थर नम्बर 222/217 (8) किला नम्बर 4 व 5 की दक्षिण दिशा में पश्चिम से पूर्व प्रत्येक किला में .020 हैक्टर चौड़ा रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता का अंकन किया जाता है तो हम अप्रार्थीगण को कोई उज्र व एतराज नही है। हम अप्रार्थीगण ने प्रार्थी से रास्ता में आई भूमि के बदले में राशि प्राप्त कर ली है। इसलिए हम अप्रार्थीगण इससे पूर्णतया सहमत हैं। जबाब प्रार्थना पत्र के साथ पक्षकारान की आईडी की फोटो प्रतियॉं प्रस्तुत की गई जो शामिल मिसल की गई। स्टेट द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी को अपनी आराजी में आवागमन के लिए कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नही है तथा अप्रार्थीगण की भूमि चक नंम्बर 9 केएचआर के पत्थर नम्बर 222/217 (8) किला नम्बर 4 व 5 में चालू रास्ता है जिसके होकर प्रार्थी अपनी भूमि में प्रवेश करता है जिसको राजस्व रिकार्ड मे स्वीकृत करवाकर गैरमुमकिन रास्ता का अंकन करवाने का निवेदन किया। अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि अप्रार्थीगण ने अपनी भूमि में प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता छोड़ा हुआ है जिससे होकर प्रार्थी अपनी भूमि में प्रवेश करता है इसलिए प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता का अंकन किये जाने का निवेदन किया गया।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली मे संलग्न जमाबन्दीयों, जवाब प्रार्थना पत्र तथा तहसीलदार राजस्व द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। रास्ता की आत्यांतिक आवश्यकता व वैकल्पिक रास्ते के अभाव व जबाब प्रार्थना पत्र सहगति के मध्यनजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी की भूमि चक नंम्बर 9 केएचआर के पत्थर नम्बर 222/217 (8) किला नम्बरं 4 व 5 की दक्षिण दिशा में पश्चिम से पूर्व प्रत्येक किला में .020 हैक्टर चौडा रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत किया जाकर उपरोक्त स्वीकृत रास्ता का राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता के रुप में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

आदेश आज दिनांक 31.7.24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.08.05 11:50:16 IST
Reason: SelfAttested

(स्वाति गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर

Scanned with CamScanner